बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
–:: संकल्प ::–

श्री बीरेन्द्र कुमार महतो तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2384 दिनांक–11.10.2019 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A NO.–308/2023 में दिनांक–20.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में संशोधित करते हुए शास्ति अधिरोपन के संबंध में।

श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक, वर्ष 2004 में बाढ़ राहत सामग्रियों के क्रय एवं वितरण में पटना समाहरणालय द्वारा 'बाबा सत्य साई इंटरप्राइजेज' पटना की मिली भगत से बरती गई अनियमितता के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–08/2005 दिनांक–26.05.2005 के प्राथमिकी अभियुक्त होने के कारण न्यायिक हिरासत में रहे एवं न्यायिक हिरासत से जमानत मिलने के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या–06/श्रम वि०आ० 5013/05– 343 दिनांक–03.11.2005 द्वारा निलंबित किये गये। तदोपरांत उनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के लिये विभागीय संकल्प संख्या–06/श्रम वि०आ० 5013/05– 453 दिनांक–09.02.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में मुख्य आरोप यह है कि श्री संजीव कुमार वल्द श्री रामानन्द सिंह द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत बाबा सत्य सांई इंटरप्राईजेज, 405–अन्नपूर्णा बिहार, वेद नगर, रूकनपुरा, बेलीरोड, पटना का निबंधन कराने हेतु दिनांक–24.04.2004 को आवेदन दिया गया परन्तु मूल आवेदन पत्र श्री महतो ने साजिश के तहत दिनांक–13.04.2004 को प्राप्ति दिखाया। प्रतिष्ठान का निरीक्षण किये बिना उन्होंने उसे कार्यरत बताया तथा दिनांक–26.04.2004 को उक्त फर्जी प्रतिष्ठान का निबंधन कर अपने पद का दुरूपयोग किया।

3. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–453 दिनांक–09.02.2007 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन श्री रामदेव रजक, तत्कालीन संयुक्त श्रमायुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2008 में समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया। इसके पश्चात श्री रामदेव रजक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3153 दिनाक–13.10.2008 द्वारा श्री महतो के विरुद्ध नये सिरे से (fresh enquiry) विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन श्री गरीब साहु, तत्कालीन अपर राचिव–राह–रांचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया जिसमें उन्होंने श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाया। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विभागीय पत्रांक–280 दिनांक–01.02.2012 द्वारा श्री महतो से द्वित्तीय कारण पृच्छा की मांग की गई एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री महतो के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने का औपबंधिक निर्णय लिया गया। श्री महतो के विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाले वृहत् शास्ति के लिए विभागीय पत्रांक–2353 दिनांक–16.07.2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक–1424 दिनांक–27.09.2013 द्वारा प्रस्तावित दण्ड से असहमति व्यक्त की गई। मामले की पुनः समीक्षा के पश्चात् श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध भ्रष्ट आचरण एवं पद का दुरूपयोग प्रमाणित होने के कारण विभागीय सकल्प संख्या–3892 दिनांक–15.10.2013 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3892 दिनांक–15.10.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका CWJC No. –3053/2014 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–17.11.2016 को पारित न्यायादेश में श्री महतो के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश में reason नहीं होने के आधार पर रद्द कर दिया गया एवं अनुशासनिक प्राधिकार को नये सिरे से आदेश निर्गत करने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में श्री महतो के मामले पर नये सिरे से विचार किया गया एवं यह आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया कि श्री महतो ने साजिशपूर्ण ढंग से एक फर्जी फर्म को अवैध रूप से निबंधित किया। तदोपरान्त श्री महतो के विरूद्ध मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1035 दिनांक–27.04.2017 द्वारा दिनांक–15.10.2013 के प्रभाव से पुनर्बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

5. इस पुनः बर्खास्तगी के आदेश के विरूद्ध श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पुनः एक याचिका CWJC No.–11951/2017 दायर किया गया। इस रिट याचिका में दिनांक–30.10.2018 को आदेश पारित किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की एवं जाँच–परिणाम (findings) के संबंध में भी माननीय न्यायालय का निष्कर्ष है कि 'The findings cannot be said to be a perverse finding as it is based on analysis and wheighment of the evidence recorded during enquiry proceeding. In such circumstances, the findings with regard to misconduct is not required to be interfered with.' परन्तु दण्ड की मात्रा (quantum of punishment) के बिन्दु पर माननीय न्यायालय ने अवलोकन किया कि..... It can at best be said that illegality or irregularity has been committed by the petitioner in the matter of registration of the establishment and, for that, the dismissal punishment is so excessive, appears to be illogical and hit the conscience of the Court. For this reason, the person cannot be dismissed from service as the dismissal is the highest punishment in the service life of a government employee, would deprive him the employment as well as his future reemployment including his pensionary benefit.

The authority while exercising the power of judicial review in passing the order of punishment, it was required to see that hammers has not been used for cracking the nut. The power should be exercised in such a manner that it should appear that the authority has really applied its balancing approach in awarding the punishment and it should not be defiance of logic.

In that view of the matter, the order of punishment contained in Memo No.1035 dated 27.04.2017 is set aside and the matter is remanded back to the authority to re-consider in the matter of punishment and take a fresh decision in accordance with law."

6. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में L.P.A दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श की मांग की गई। विधि विभाग एवं महाधिवक्ता द्वारा प्राप्त परामर्श में L.P.A दायर करने का औचित्य नहीं बताया गया एवं यह कहा गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में केवल दण्ड के बिन्दु पर विभाग को पुनर्विचार करना चाहिए। तदोपरांत विधि विभाग से इस बिन्दु पर परामर्श की मांग की गई कि क्या सम्यक विचारोपरान्त बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है। विधि विभाग एवं महाधिवक्ता द्वारा प्राप्त परामर्श में यह स्पष्ट राय दी गई कि पुनः बर्खास्तगी का आदेश देना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल होगा एवं इसलिए बर्खास्तगी के अलावा कोई और दण्ड दिया जाना चाहिए।

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश, विधि विभाग तथा महाधिवक्ता द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरूद्ध बर्खास्तगी के दण्ड से भिन्न अन्य दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का मन्तव्य प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (5) के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार महतो को दिनांक–15.10.2013 से बर्खास्त किये जाने के संकल्प को निरस्त करते हुये उन्हें दिनांक–15.10.2013 से ही सेवा में पुर्नस्थापित किये जाने का आदेश निर्गत किये जाने, बर्खास्तगी की तिथि दिनांक–15.10.2013 से सेवा में पुर्नस्थापित किये जाने की तिथि तक लगातार निलंबित समझे जाने, नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के तहत निर्वाह भत्ता के भुगतान के लिए श्री महतो से उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा न किये जाने, सेवा में पुर्नस्थापित किये जाने का आदेश निर्गत होने की तिथि से उन्हे निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करने तथा तदोपरान्त नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के आलोक में निर्वाह भत्ता भुगतेय होने का परामर्श दिया गया है। न्यायादेश के अनुपालन तथा विधि विभाग के परामर्श के आलोक में बर्खास्तगी के स्थान पर कोई अन्य दण्ड निर्धारित किये जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि इस संबंध में निर्णय लेने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार ही सक्षम प्राधिकार हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह भी परामर्श दिया गया कि संशोधित दण्डादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निलंबन अवधि में श्री महतो को वेतनादि के रूप में क्या भुगतान किया जायेगा तथा निलंबन अवधि की उनकी सेवा किस रूप में विनियमित की जायेगी इन दो बिन्दुओं पर विनिश्चय किया जायेगा। परन्तु विचाराधीन मामले में श्री महतो को दण्डित किया जाना है अतः उन्हें निलंबन अवधि में न तो निर्वाह भत्ता से कम राशि भुगतेय होगा और न ही पूर्ण वेतन भुगतेय होगा। निलंबन अवधि में वेतनादि के रूप में नियमावली के नियम 11 (5) के प्रावधान के तहत श्री महतो को नोटिस के माध्यम से उक्त विनिश्चय से अवगत कराते हुये उन्हें अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया जायेगा एवं निर्धारित अवधि में श्री महतो से प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो, पर सम्यक विचारोपरान्त ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा तथा इसे संसूचित किया जायेगा। उपर्युक्त के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह भी परामर्श दिया गया कि माननीय न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालनार्थ उपरोक्त कार्रवाई पर माननीय मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद् की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधिसूचना संख्या–1093 दिनांक–20.11 2018 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधिसूचना संख्या–1093 दिनांक–20.11.2018 में यह प्रावधान है कि 'ऐसे मामलो का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से आदेश पारित किये गये हो एवं उनके विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना सम्भव नहीं हो तो वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात् मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रशासी विभाग मामले को प्रस्तुत करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुये प्रशासी विभाग, प्रभारी मंत्री के आदेश प्राप्त कर, कार्यान्वयन आदेश ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करेगा'। मंत्रिमण्डल सचिवालय के उक्त अधिसूचना के आलोक में विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित किये जाने हेतु वित्त विभाग से परामर्श की मांग की गई। वित्त विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये परामर्श का अनुसमर्थन किया गया।

8. तदोपरान्त श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.–11951/2017 में दिनांक 30.10.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में इस मामले को विचारार्थ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा गया। समिति के दिनांक–16.08.2019 को आयोजित बैठक में CWJC No.–11951/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–30.10.2018 को पारित आदेश का पालन करते हुये श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक को सेवा से बर्खास्त के दण्ड पर अनुशासनिक प्राधिकार को स्वयं विनिश्चय करने की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1035 दिनांक–27.04.2017 द्वारा दिनांक–15.10.2013 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दंड को विलोपित करते हुए उनके विरूद्ध कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर सेवानिवृति तक के लिए अवनति तथा सेवा निवृति तक सभी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

9. तदालोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2384 दिनांक–11.10.2019 द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1035 दिनांक–27.04.2017 द्वारा दिनांक–15.10.2013 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दंड को विलोपित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (vii) के अन्तर्गत कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर सेवानिवृति तक के लिए अवनति तथा सेवा निवृति तक सभी वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया एवं आदेश निर्गत की तिथि से श्री बीरेन्द्र कुमार महतो का मुख्यालय उप श्रमायुक्त, भागलपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया।

10. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2384 दिनांक–11.10.2019 द्वारा यह भी संसूचित किया गया कि श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना बर्खास्तगी की तिथि दिनांक–15.10.2013 से पुनः योगदान की तिथि तक के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(5) एवं नियम 13(2) के अन्तर्गत मिलने वाले वेतन इत्यादि के संबंध में पृथक आदेश निर्गत किया जायेगा।

11. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–708 दिनांक–23.03.2021 द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार महतो तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना को दिनांक–15.10.2013 से दिनांक–14.10.2019 तक की निलंबनावधि के लिए केवल जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने के औपबंधिक आदेश को सम्पुष्ट किया गया। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि दिनांक–15.10.2013 से दिनांक–14.10.2019 तक की अवधि की गणना मात्र पेंशन के लिए की जायेगी।

12. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2384 दिनांक–11.10.2019 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध श्री महतो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका CWJC No.–665/2021 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.09.2022 को न्यायादेश पारित किया गया कि:–

"There is also no Procedural infirmity alleged in respect of the order Passed under Rule–97 of the Bihar Service code dated 23.03.2021. This court dose not find any merit in the writ Petition, the same is dismissed."

13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका CWJC NO.–665/2021 में दिनांक–22.09.2022 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध परिवादी श्री महतो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में L.P.A NO.–308/2023 दायर किया गया। उक्त L.P.A में दिनांक 20.03.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया कि:–

"In the present case, the appellant has been reduced to a lower rank without specifying a period, in which event without any further directions, the appellant would be barred from being promoted. However, the impugned penalty order not only bars the promotion but also withholds the increment permanently, which is permissible under the rules.

In the above circumstances, we set aside the order of Penalty and remand it to the authority to impose a penalty in accordance with the Rules, 2005. The appeal stands allowed."

14. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A NO.–308/2023 में दिनांक–20.03.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग से पारित आदेश का अनुपालन करने अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना अथवा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर करने हेतु परामर्श/मंतव्य की मांग की गई। विधि विभाग के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये परामर्श/मतव्य के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विभाग की ओर से S.L.P (c) No.-1575/2025 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बीरेन्द्र कुमार महतो दायर किया गया।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा S.L.P (c) No.-1575/2025 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बीरेन्द्र कुमार महतो में दिनांक 02.05.2025 को निम्न आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया है:–

(i) We see no reason and ground to interfere with the impunged order passed by the High Court.

(ii) Accordingly, the Special Leave Petition is dismissed.

(iii) Pending applications, if any, shall stand disposed of.

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा S.L.P (c) No.-1575/2025 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम बीरेन्द्र कुमार महतो को खारिज किये जाने के उपरांत उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A NO.–308/2023 में दिनांक–20.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में मामलें की समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री महतो के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2384 दिनांक–11.10.2019 द्वारा अधिरोपित दंड को निर्गत की तिथि से संशोधित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (vii) के अन्तर्गत कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर पुर्नयोगदान की तिथि दिनांक–14.10.2019 तक के लिए अवनति तथा अगले एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित करते हुए श्री बीरेन्द्र कुमार महतो तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी,

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक को दिनांक—15.10.2013 से दिनांक—14.102019 तक की निलंबनावधि के लिए केवल जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने एवं दिनांक—15.10.2013 से दिनांक—14.10.2019 तक की अवधि की गणना मात्र पेंशन के लिए करने का निर्णय लिया गया है।

17. अतएव श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक—सह—निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक—2384 दिनांक—11.10.2019 को निर्गत की तिथि से संशोधित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (vii) के अन्तर्गत **कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर पुर्नयोगदान की तिथि दिनांक—14.10.2019 तक के लिए अवनति तथा अगले एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित करते हुए दिनांक—15.10.2013 से दिनांक—14.10.2019 तक की निलंबनावधि के लिए केवल जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने एवं दिनांक—15.10.2013 से दिनांक—14.10.2019 तक की अवधि की गणना मात्र पेंशन के लिए करने का निर्णय लिया गया है।**

18. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक—सह—निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक (पिता का नाम— स्व० बाबूजी महतो, स्थाई पताः ग्राम+पोस्ट—खिरहर बाजार, थाना—खिरहर, भाया—बेनीपट्टी, जिला—मधुबनी, बिहार) को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 6/श्रम वि० आ० (02)—16/2025 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने तथा राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— 6/श्रम वि० आ० (02)—16/2025 श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ० (02)–16/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार प० चम्पारण, बेतिया/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, प० चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ० (02)–16/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

बंधित/स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः– श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत श्रम अधीक्षक (स्थाई पताः पिता का नाम–स्व० बाबूजी महतो, ग्राम+पोस्ट–खिरहर बाजार, थाना–खिरहर, भाया–बेनीपट्टी, जिला–मधुबनी, बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ० (02)–16/2025 श्र०सं०– 3362 पटना, दिनांक–22/10/25

प्रतिलिपिः–श्रमायुक्त, बिहार, पटना/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–01 (सरकार पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
22.X.25
सरकार के संयुक्त सचिव